



2026:AHC:42381

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट-सी संख्या-7495 वर्ष 2026

रामबली

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम यश चौहान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2-प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि प्रतिवादी संख्या-3/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील जखनियां, जनपद गाजीपुर द्वारा दिनांक 14.11.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत पारित आदेश का अनुपालन कराया जाए।

3-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के अंतर्गत वाद दायर किया गया था, जो कि वाद संख्या 8556 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202514290508556) के रूप में प्रतिवादी संख्या-3 के समक्ष लंबित था, जिसमें दिनांक 14.11.2025 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उक्त आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।

4-विधि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित वादों के समूह, जिसमें प्रमुख वाद **मीनू देवी बनाम उ. प्र. सरकार रिट-सी संख्या 35470 वर्ष 2025**, दिनांक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18.12.2025 को निर्णीत, में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित की जा चुकी है, जिसमें अनुच्छेद 44 से 46 में निम्न निर्देश दिए गए हैं—

44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उपजिलाधिकारी (SDO) को सीमांकन विवादों के संक्षिप्त निस्तारण हेतु वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है, जिनमें सीमांकन एवं कब्जा पुनर्स्थापन के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार भी निहित हैं। आदेश का क्रियान्वयन विवेकाधीन न होकर प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है—क्रियान्वयन में विफलता से संपूर्ण व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाती है तथा विधायी मंशा विफल होती है।

45. उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का राज्यभर के समस्त राजस्व अधिकारियों में प्रसार किया जाए तथा प्रशिक्षण एवं RCCMS प्रोटोकॉल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

46. प्रतिवादीगण, विशेष रूप से संबंधित SDO, को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों का चार सप्ताह के भीतर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, स्वीकृत साइट मेमो/सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार, सीमांकन चिन्ह स्थापित करते हुए तथा आवश्यक होने पर कब्जा पुनर्स्थापन सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन करें।

5-उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संबंधित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 14.11.2025 के आदेश का विधि के अनुसार तथा उपर्युक्त मीना देवी प्रकरण में दिए गए निर्देशों के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करें, यदि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।